मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग, मंत्रालय
--00--

क्रमांक:- 4-1/2008/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 08.

विषय:- गैर वन पड़त भूमि का विकास एवं उपयोग संबंधी राज्य की नीति में संशोधन ।

--00--

राज्य शासन द्वारा गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग संबंधी राज्य की नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

01. गैर वन पड़त भूमि के विकास एवं उपयोग संबंधी राज्य की नीति की कण्डिका 6(ग) के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

" अगर पहले दो वर्षों में आवेदक/संस्था द्वारा भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना पाया गया, जिस प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित है, अथवा प्रथम दो वर्षों में लायसेंस में उल्लेखित विकास कार्य निर्धारित समयावधि में किया जाना नहीं पाया गया तो लायसेंस निरस्त कर संबंधित भूमि का कब्जा वापिस ले लिया जायेगा ।""

02. कण्डिका 6(ज) के पश्चात् नवीन कण्डिका 6 (झ) निम्नानुसार जोड़ी जाए :-

" 6 (झ) - भूमि पर स्थित फसल/वृक्षारोपण पर ऋण नहीं लिया जा सकेगा ।""

03. कण्डिका क्रमांक 8.2 के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

" निवेशकर्ता को उसे लीज पर दी गई गैर वन पड़त भूमि बंधक रखने का अधिकार नहीं होगा और न ही राज्य शासन द्वारा बंधक रखने हेतु अनुमति दी जाएगी ।"

(एल. एन. सोनी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग. 2ए.

मु. 181208.